SHRI M RUTHNASWAMY (Tamil Nadu) May I ask the Minister whether the exodus from East Pakistan is only from a particular district or from the interior? Is it mainly from the border districts of East Pakistan? I am asking this question because there is a view held in certain quarters that it is part of the defence policy of Pakistan to clear the border of all minority communities in order to secure their border If that is a part of the defence policy of Pakistan, there is very little that the Government of India can do by way of reminding them or by way of protest or by way of suggesting co-operation and other methods. If it is a part of *their defence policy, we can do nothing* about it except to ask them to send members of those minority communities on the border districts to the interior of Pakistan.

SHRI DINESH SINGH : According to our information most of them come from the village within the jurisdiction of Dumrai, Rampaul and Betdaraghat Police Station of Khulna District in East Pakistan

श्री उपसभापति राजनारायण जी, बोलिये क्या आपका व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मंत्री जी के उत्तर ने एक अव्यवस्था उत्पन्न की है, आप कृपा कर के अपनी व्यवस्था से उसे ठीक कर दें । श्री अब्दुल गफ्फार खां को आमंत्रण केवल सरकार का नहीं था, सारे राष्ट्र ने श्री अब्दुल गफ्फार खां को आमंत्रित किया था । मंत्री महोदय ने "हमने" "हमने" कह कर यह एक गलत धारणा पैदा करने की कोशिश की है कि शायद सरकार ने श्री अब्दुल गफ्फार खां के बुलाने में अगवाई की । यह गलत है । आप इसको ठीक कर दें । यह सरकार कतई नहीं चाहती थी कि श्री अब्दुल गफ्फार खां यहां आयें । लगातार, सतत प्रयत्न था डा० लोहिया का, हम लोगों का, हम खुद काबुल गये थे श्री अब्दुल गफ्फार खां से मिलने कि वह भारत आयें, अच्छा हुआ वह आये और उन्होंने . . .

श्री उपसभापति : आपकी व्यवस्था की बात सुन ली, अब आप बैठिये ।

श्री राजनारायण : . आकर के इस सरकार की भर्त्सना की, दिल खोल कर भर्त्सना की । इसके लिये मैं इस सदन में जो हमख्याल हैं उनकी ओर से श्री अब्दुल गफ्फार खां को मुबारकबाद देता हूं कि इस सरकार को उन्होंने लताड़ा ।

श्री उपसभापति : अच्छा अब आप बैठिये ।

PAPERS LAID ON THE TABLE

I AUDIT REPORT (1968-69) ON THE ACCOUNTS OF THE RUBBER BOARD, KOTTAYAM.

II *ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS* (1968 69) OF THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LIMITED AND RELATED PAPERS

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : श्रीमन्, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(क) 1968–69 के वर्ष के लिए रबड़ बोर्ड कोटायाम के लेखाओं पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति । [Placed in Library. *See* No. LT-3417/70].

(ख) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति

(i) 1968-69 के वर्ष के लिए स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे, लेखाओं पर लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन सहित ।

(ii) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) ।

[Placed in Library *See* No. LT-3416/70 for (i) and (ii)].

MOTION FOR ELECTION OF ONE MEMBER TO THE COIR BOARD

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"नारियल जटा उद्योग नियमावलि, 1954 के नियम 4(1) (ड) के साथ